

**उत्तर प्रदेश शासन**  
**औद्योगिक विकास अनुभाग-4**  
**संख्या-4078/77-4-24/43 अपील/24**  
**लखनऊ: दिनांक- 15 जुलाई, 2024**

मै0 सिफल इन्फोटेक प्रा0 लि0

... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा

... विपक्षीगण

यह पुनरीक्षण याचिका मै0 सिफल इन्फोटेक प्रा0लि0 द्वारा नोएडा में आवंटित संस्थागत भूखण्ड संख्या-4, Sector-73, क्षेत्रफल 20130 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निर्गत किये गये डिमाण्ड नोटिस दिनांक 23.01.2020 एवं दिनांक 25.05.2021 के विरुद्ध दिनांक 27.02.2024 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 के अंतर्गत दाखिल की गई है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के संबंध में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 28.05.2024 के द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है। इस याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 19.06.2024 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राधिकरण की ओर से आभासी रूप में श्रीमती वन्दना त्रिपाठी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा तथा याची संस्था की ओर से श्री सुशान्त अग्रवाल, श्री पारितोष द्वारा आभासी रूप में एवं श्री अभिषेक खरे, अधिवक्ता द्वारा भौतिक रूप में प्रतिभाग किया गया।

2. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसे प्रश्नगत भूखण्ड का आवंटन दिनांक 26.09.2006 को किया गया था। तदोपरांत दिनांक 03.10.2006 को लीज डीड निष्पादित की गई है, जिसके अनुसार भूखण्ड का कुल प्रीमियम रू0 7,69,97,250/- है, जिसके 30 प्रतिशत का भुगतान तत्समय कर दिया गया था एवं अवशेष 70 प्रतिशत का भुगतान 16 अर्द्धवार्षिक किश्तों में 11 प्रतिशत ब्याज दर पर किया जाना अपेक्षित था। इस भूखण्ड का कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 04.10.2006 को प्रदान किया गया था।

3. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि यह कब्जा प्रमाण पत्र मात्र एक कागजी प्रमाण पत्र था। तत्समय यह भूखण्ड किसानों के कब्जे में ही था, जो कि अपने आपको इस भूमि का वास्तविक भूमिधर कहते थे। इस भूखण्ड पर कब्जा लिए जाते समय किसानों द्वारा विरोध भी किया गया था।

इसी को देखते हुए पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्राधिकरण को वास्तविक कब्जा दिए जाने हेतु कई प्रत्यावेदन दिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 14.03.2018 को पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह निवेदन किया गया कि उसे भूमि का वास्तविक कब्जा प्रदान किया जाए, वास्तविक कब्जा दिए जाने के दिनांक तक की अवधि का शून्य काल दिया जाए एवं उसके देयकों को पुर्ननिर्धारित कर दिया जाए। यह भी अवगत कराया गया कि भूखण्ड पर कब्जा न होने के कारण कोई निर्माण भी नहीं किया जा सका था।

4. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस पर विचार न करते हुए प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15.03.2018 को एक डिमाण्ड नोटिस कुल धनराशि रू0 25,46,75,201/- की दी गई है। चूंकि भूखण्ड का वास्तविक कब्जा पुनरीक्षणकर्ता को नहीं मिल पाया था, अतः किसी भी प्रकार का देय लम्बित नहीं था। इसी क्रम में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा दिनांक 27.07.2018 को पुनः प्रत्यावेदन दिया गया कि उसे भूखण्ड पर कब्जा दिए जाने तक की तिथि का शून्य काल का लाभ प्रदान कर दिया जाए। यह भी निवेदन किया गया कि चूंकि आईटी सेक्टर में पिछले 11-12 वर्षों तक मंदी का दौर विद्यमान रहा है, अतः प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रत्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। इसी क्रम में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 06.08.2018, दिनांक 28.08.2018 एवं दिनांक 11.09.2018 को भी दिए गए हैं।

5. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 19.09.2018 के द्वारा सुनवाई के लिए आमंत्रित किया, किंतु सुनवाई नहीं हो पाई थी। सुनवाई न हो पाने के कारण पुनः एक प्रत्यावेदन पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 24.11.2018 को दिया गया है, जिसमें यह भी अवगत कराया गया है कि रिट याचिका संख्या 61730/2014 मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गई है, जिसमें खसरा संख्या 190-194 के भू-स्वामियों द्वारा उचित मुवाअजा दिए जाने की मांग की गई है एवं यह भी अवगत कराया गया है कि उनका कब्जा अभी तक भूमि पर विद्यमान है। इस प्रत्यावेदन का निस्तारण न होने पर पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा दिनांक 27.11.2018 एवं दिनांक 29.11.2018 को अनुस्मारक भी भेजे गए हैं।

6. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 15.02.2019 को इस आशय का पत्र भेजा गया कि उस मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 29.11.2016 के आदेशों के क्रम में लाभ प्रदान किया जाए। इस प्रत्यावेदन को प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.04.2019 द्वारा यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा भूखण्ड

पर अभी तक न तो निर्माण शुरू किया गया है एवं न ही नक्शा अनुमोदित कराया गया है।

7. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उसे दिनांक 02.01.2019 को इस आशय का विधिक नोटिस छत्रपाल एवं अन्य की ओर से प्राप्त हुआ है कि वे खसरा संख्या 191-194 के वास्तविक भूमिधर हैं एवं मौके पर काबिज भी हैं तथा उनको अभी तक भूखण्ड का उचित मुवाअजा प्राप्त नहीं हुआ है।

8. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि दिसम्बर 2019 तक प्रश्नगत भूखण्ड पर किसानों का कब्जा रहा है। इसी दौरान प्राधिकरण की रिशिड्यूलमेंट पालिसी दिनांक 08.03.2019 जारी की गई है, जिसका लाभ लेने के लिए पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा रू0 1.8 करोड़ जमा करा दिए गए हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.06.2019 द्वारा यह बताया गया है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर रू0 11,06,88,855/- बकाया हैं। इसके क्रम में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा रू0 2.9 करोड़ जमा किए जा चुके हैं। अग्रेतर उसके द्वारा पत्र दिनांक 27.07.2019 के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उसे भूखण्ड के सापेक्ष लीज रेंट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।

9. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.11.2019 को कुल रू0 8,98,41,345/- का मांग पत्र जारी किया गया है, जिसके क्रम में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा रू0 1,97,62,628/- जमा किए जा चुके हैं।

10. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.01.2020 एवं दिनांक 13.01.2020 के द्वारा प्राधिकरण से यह निवेदन किया है कि उसे प्रश्नगत भूखण्ड का वास्तविक कब्जा प्रदान किया जाए। इसका प्रति उत्तर प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.01.2020 द्वारा यह कहते हुए किया गया है कि भूखण्ड का वास्तविक कब्जा दिनांक 10.10.2006 को प्रदान किया जा चुका है। तत्पश्चात् प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.01.2020 के द्वारा कुल धनराशि के 80 प्रतिशत रू0 20,96,33,888/- के भुगतान की मांग की गई है।

11. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उसे भूखण्ड का वास्तविक कब्जा दिनांक 10.02.2020 को प्राप्त हो पाया है। तत्पश्चात् उसे यह ज्ञात हुआ कि मौके पर 1993.1 वर्ग मीटर भूमि अतिरिक्त है। तदोपरान्त प्राधिकरण की सहमति से इस अतिरिक्त भूमि के सभी देयक जमा किए जा चुके हैं एवं लीज डीड भी निष्पादित की जा चुकी है।

12. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उसे भूमि का वास्तविक कब्जा दिनांक 10.02.2020 को ही मिल पाया है एवं तददिनांक तक भूमि पर कोई भी निर्माण करना सम्भव नहीं था। भूमि के आवंटन दिनांक 26.09.2006 के उपरांत भूखण्ड पर किसानों का ही कब्जा विद्यमान था एवं उनके विरोध किये जाने के कारण भूमि का वास्तविक कब्जा प्राधिकरण द्वारा नहीं दिलवाया जा सका था। प्राधिकरण द्वारा एक डिमाण्ड नोटिस दिनांक 25.05.2021 को धनराशि रू० 6.55 करोड़ की भी जारी की गई है। इस नोटिस में वर्णित धनराशि पुनरीक्षणकर्ता संस्था पर देय नहीं है क्योंकि भूखण्ड का वास्तविक कब्जा न दिए जाने के कारण शून्य काल अनुमन्य होने पर कोई धनराशि देय ही नहीं होती है।

13. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह अवगत कराया गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक निर्माण कार्य सम्भव ही नहीं थे। इसी प्रकार मा० उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 940/2017 विक्रम चटर्जी एवं अन्य बनाम भारत सरकार में मा० न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.06.2020 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि समस्त आवंटियों के देनदारियों की पुर्नगणना 8 प्रतिशत ब्याज दर के आधार पर कर ली जाए। इस आशय की गणना प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है। अंत में पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा यह निवेदन दिया गया है कि आवंटन दिनांक 26.09.2006 से कब्जा प्राप्त होने के दिनांक 10.02.2020 होने की अवधि के शून्य काल का लाभ प्रदान किया जाए, कोविड-19 महामारी की अवधि दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2022 तक शून्य काल का लाभ प्रदान किया जाए, डिमाण्ड नोटिस दिनांक 23.01.2020 एवं 25.05.2021 निरस्त किया जाए एवं उसके देयकों की पुर्नगणना कर ली जाए।

14. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण ने संस्थागत भूखण्डों के आवंटन के लिए Open Ended scheme सन 2006 में निकाली गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत रिवीजनकर्ता ने संस्थागत भूखण्ड के आवंटन के लिए दिनांक 20.03.2006 को आवेदन किया गया था। प्राधिकरण ने रिवीजनकर्ता को संस्थागत भूखण्ड संख्या 04, सैक्टर-73 नौएडा क्षेत्रफल 20130 वर्ग मीटर का आवंटन दिनांक 26.09.2006 को आई०टी०/आई०टी०ई०एस० की परियोजना के लिए किया गया। रिवीजनकर्ता के पक्ष में संस्थागत भूखण्ड संख्या 04 सैक्टर-73, नौएडा क्षेत्रफल 20130.00 वर्ग मीटर का पट्टा प्रलेख दिनांक 03.10.2006 को निष्पादित किया गया। पट्टा प्रलेख के अनुसार उक्त भूखण्ड की कुल कीमत रू० 7,69,97,250.00 में से रिवीजनकर्ता ने पट्टा प्रलेख के निष्पादन से पूर्व रू० 2,30,99,175.00 की धनराशि जमा की गई। भूखण्ड की अवशेष धनराशि को रिवीजनकर्ता को 11 प्रतिशत ब्याज के साथ 16 समान छमाई किश्तों में जमा

करना था। भूखण्ड की पहली किश्त दिनांक 04.10.2006 को तथा अंतिम 16वीं किश्त दिनांक 04.04.2014 को देय थी। रिवीजनकर्ता को उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 10.10.2006 को प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया।।

15. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा रिवीजनकर्ता को उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 10.10.2006 को प्रदान कर दिया गया था। रिवीजनकर्ता ने कब्जा प्रमाण पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि इस भूखण्ड पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है।

16. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्राधिकरण ने भूखण्ड की देय धनराशि का भुगतान करने के लिए रिवीजनकर्ता को दिनांक 18.07.2015, 07.03.2017, 10.03.2017, 16.07.2015, 03.07.2013, 01.04.2013 व 21.04.2011 को नोटिस जारी करने एवं रिवीजनकर्ता को भूखण्ड की देय धनराशि जमा करने के लिए सूचित किया गया था, परन्तु रिवीजनकर्ता द्वारा भूखण्ड की देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। इसलिए प्राधिकरण ने दिनांक 15.03.2018 को कारण बताओं नोटिस जारी करके रिवीजनकर्ता को उक्त भूखण्ड के विरुद्ध दिनांक 31.12.2017 तक देय किश्तों/भू-भाटक/समयवृद्धि शुल्क इत्यादि के मद में रुपये 25,46,76,201.00 को 15 दिन के अंदर जमा करने के लिए सूचित किया गया था। रिकार्ड अनुसार आवंटी द्वारा दिनांक 27.07.2018 को zero period एवं भूखण्ड पर देय धनराशि को reschedulement किये जाने हेतु आवेदन दिया गया था। जिसके क्रम में अवगत कराना है कि उक्त आवंटी को पूर्व में ही संस्थागत के पत्र सं० नौएडा/संस्थागत/2011/646 दिनांक 30.08.2011 के माध्यम से किश्तों का रि-शैड्यूलमेंट किया जा चुका था, एवं zero period का लाभ आवंटी को नहीं दिया गया है

17. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि रिवीजनकर्ता ने पत्र दिनांक 15.02.2019 के द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा औखला बर्ड सेन्चुरी के 10 किलो मीटर की परिधि में किये जा रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 29.11.2016 के प्राविधानों के अन्तर्गत शून्य अवधि का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया । प्राधिकरण ने पत्र दिनांक 04.04.2019 के द्वारा रिवीजनकर्ता को सूचित किया गया कि आपके द्वारा आवंटन की तिथि से अब तक भवन निर्माण किये जाने हेतु मानचित्र भी स्वीकृत नहीं कराया गया तथा आपके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्रारंभ भी नहीं किया गया है, इसलिए कार्य बाधित होने का प्रश्न नहीं उठता है। आपका प्रकरण कार्यालय आदेश दिनांक 29.11.2016 से अच्छादित नहीं है। इसलिए उक्त कार्यालय आदेश के अनुसार शून्य अवधि का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए आपके आवेदन को निरस्त किया जाता है।

रिवीजनकर्ता को भूखण्ड का कब्जा दिनांक 10.10.2006 को प्रदान किया जा चुका था। रिवीजनकर्ता कोई शून्य अवधि का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है।

18. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि विषयगत याचिका में निहित खसरा संख्या 191, 192, 193 व 194 का उल्लेख किया गया है, परन्तु प्रश्नगत खसरा नम्बरान किस ग्राम में स्थित है, का उल्लेख नहीं किया गया है। याचिका में उक्त खसरा नम्बरान के मूल खातेदार चतरपाल, रोहताश, रिछपाल के नाम का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान व मूल खातेदार से स्पष्ट हुआ कि प्रश्नगत खसरा नम्बरान ग्राम-होशियारपुर के है। ग्राम-होशियारपुर के विभिन्न खसरा नम्बरान के अर्जन की अद्यतन स्थिति तालिका रूप निम्नवत् है-

क्र सं	खसरा सं०	अर्जित व कब्जा प्राप्त रकबा(बीघा में)	धारा-4/1 7 दिनांक	धारा-6/1 7 दिनांक	कब्जा दिनांक	घोषित अभिनिर्णय का दिनांक	अन्य विवरण
1	191	3-16-0	01.08.1992	03.09.1992	21.09.1995	07.07.1997	
2	192	0-14-13	01.08.1992	03.09.1992	21.09.1995	07.07.1997	
3	193	1-7-0	01.08.1992	03.09.1992	21.09.1995	07.07.1997	
4	194	1-7-10	01.08.1992	03.09.1992	21.09.1995	07.07.1997	

उपरोक्त खसरा संख्या-193 व 194 के काश्तकार श्री रिछपाल, रोहताश, चतरपाल पुत्रगण मिश्री, भोदी सिंह, रसोदी सिंह पुत्रगण कन्हैया, सुनील ना०बा० सं० माता राजेश्वरी पुत्र लेखराज, धन्नी पुत्र गुरजी नि० शर्फाबाद द्वारा एवं खसरा संख्या-191 व 192 के काश्तकार श्री रिछपाल, रोहताश, चतरपाल पुत्रगण मिश्री द्वारा प्रतिकर दिनांक 01.08.1997 को प्राप्त कर लिया गया है।

19. प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आवंटी M/s Sifal Infotech Pvt. Ltd., 3-9, Chirag Enclave, New Delhi Through Authorised Signatory Sh. Paramjit Singh Kohli S/o Sh. Harmohinder Singh Kohli Ro 8/12, Tilak Nagar, New Delhi को दिनांक 10.10.2006 को वर्क सर्किल द्वारा कब्जा दिया जा चुका था, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटित रिक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य वर्षों तक नहीं कराया गया, जिससे खाली पड़ी भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा विरोध किये जाने की सूचना आवंटी से प्राप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की गयी। जबकि प्राधिकरण द्वारा कब्जा देने के उपरान्त भी आवंटी द्वारा कोई निर्माण कार्य न करने के कारण लोगों द्वारा अतिक्रमण/कृषि कार्य करने के प्रयास को रोकने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आवंटी का होता है

20. मेरे द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया गया। इस भूखण्ड का आवंटन दिनांक 26.09.2006 को किया गया है एवं लीज डीड भी दिनांक 03.10.2006 को निष्पादित की गई है। इस

आवंटन के सम्बन्ध में मुख्यतः पुनरीक्षणकर्ता संस्था का कथन है कि उसे तत्समय भूखण्ड का कब्जा नहीं मिल पाया था, क्योंकि इस भूखण्ड पर मूल काश्तकार काबिज थे। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन खसरा नं० (191, 192, 193 एवं 194) का वर्णन पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा अपनी याचिका में किया गया है, उनका अधिग्रहण वर्ष 1992 में किया गया था। इन खसरा नम्बरों का कब्जा दिनांक 21.09.1995 को प्राप्त किया जा चुका था तथा इन काश्तकारों द्वारा प्रतिकर भी दिनांक 01.08.1997 को प्राप्त कर लिया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भूखण्ड का अभिनिर्णय घोषित होने एवं अभिनिर्णित धनराशि का प्रतिकर कृषकों को प्राप्त होने के उपरांत प्राधिकरण ही इस भूमि का एकमात्र स्वामी हो जाता है। प्राधिकरण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भूखण्ड के आवंटन के समय वास्तविक भौतिक कब्जा पुनरीक्षणकर्ता संस्था को प्रदान किया जा चुका था। दिनांक 10.10.2006 को प्रदत्त कब्जे पर सिफल इन्फोटेक प्रा० लि० के अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर भी हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि अधिग्रहण के पश्चात् भूमि का प्रतिकर तत्समय किसानों को प्रदान किया जा चुका था एवं प्रश्नगत भूखण्ड के आवंटन के उपरांत वास्तविक कब्जा भी पुनरीक्षणकर्ता संस्था को दिनांक 10.10.2006 को प्रदान किया जा चुका है। अतः कब्जे के आधार पर किसी शून्य काल की देयता नहीं बनती है।

21. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 29.11.2016 के क्रम में शून्य काल का लाभ दिए जाने की याचना की गई है। यह स्पष्ट है कि तत्समय न तो कोई निर्माण कार्य संस्था द्वारा शुरू किया गया था एवं न ही नक्शे अनुमोदित कराये गये थे। इससे यह स्पष्ट है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसी रोक के आदेश का कोई असर पुनरीक्षणकर्ता संस्था पर नहीं हुआ है। ऐसी दशा में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 29.11.2016 के क्रम में किसी शून्य काल के अवधि का लाभ दिए जाने का अवसर नहीं बनता है।

22. पुनरीक्षणकर्ता संस्था द्वारा कोविड महामारी के दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के शून्य काल का लाभ दिए जाने की याचना की है। अभिताभ कान्त कमेटी की रिपोर्ट के क्रम में शासनादेश संख्या 7774/77-4-2023-6011/2023 दिनांक 21.12.2023 जारी किया गया है जो कि ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर लागू होता है। इस शासनादेश का कोई लाभ याची संस्था को इस प्रकरण में नहीं दिया जा सकता है।

23. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता संस्था को किसी भी शून्य काल की अवधि का लाभ देय नहीं है। तत्क्रम में प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए

नोटिस दिनांक 23.01.2020 एवं दिनांक 25.05.2021 विधिक हैं एवं इनमें कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। पुनरीक्षणकर्ता संस्था की याचिका बलहीन होने के कारण एतद्वारा निरस्त करते हुए निस्तारित की जाती है।

अनिल कुमार सागर  
प्रमुख सचिव

संख्या:-4078(11)/77-4-24/43 अपील/24 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा।
2. अधिकृत हस्ताक्षरी, सिफल इन्फोटेक प्रा०लि० प्रथम तल, W-111A, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली-110048 (advakshaymohiley@gmail.com)।।
3. मो० वली अब्बास, निदेशक, आई.टी. इन्वेस्ट यू०पी० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से



(जयवीर सिंह)  
संयुक्त सचिव